



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

"पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर -302 001

दूरभाष-0141-2220743 फ़ैक्स-0141-2223251

E-Mail. smc-raj@esicnic.in

Website- www.esicrajasthan.com

(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11 / टाइ-अप(सु.स्वे.) / एसएमसी / 09 / 560

दिनांक 18.02.2010

आंशिक संशोधित परिपत्र

विषय: **Super Speciality Treatment** के तहत टाइ-अप (Tie up) व्यवस्था बाबत।

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या V-24/11/ 10/04- Med-1 dated 23-07-2008 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (Beneficiaries) के लिए निम्न विवरणानुसार प्राइवेट अस्पताल से आते विशिष्ट उपचार/डाइग्नोस्टिक हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था दो वर्ष के लिए किये गये एग्जिनेट दिनांक 9.9.2009 में आंशिक संशोधन कर इनसे पूर्व में किये गये 13 Super Speciality Treatment / Investigation के साथ कम सं. 14 पर वर्णित एक ओर उपचार के लिए दिनांक 18.02.2010 से 13.09.2011 तक टाइ अप किया गया है :-

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	AJMER	Gheesibai Memorial MITTAL Hospital & Research Centre, Pushkar Road, AJMER- 305004 (Raj.)	14.09.2009 to 13.09.2011	1 Super specialized -Cardiology 2 Super specialized- Urology 3 Neuro Surgery 4 Burns and Plastic Surgery 5 Super specialized- Gastroenterology 6 Super specialized- Endocrinology 7 Laparoscopic surgery 8 CT Scan 9 P F T 10 E M G 11 E E G 12 DIALYSIS/NEPHROLOGY 13 Hormonal assay 14 Cardio Vascular Thoracic Surgery
			18.02.2010 to 13.09.2011	

समसंख्यक पूर्व परिपत्र दिनांक 10.09.2009 के पहले पैरे में वर्णित मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: V-24/11/ 10/04- Med-1 dated 23-03-09 के स्थान पर पत्र संख्या: V-24/11/ 10/04- Med-1 dated 23-07-2008 पढ़ी जावे।

शेष सभी शर्तें इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.9.2009 एवं अन्य समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी।

(डॉ. निशा दीगरा)

राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि: संबंधित अस्पताल को एग्जिनेट दि. 18.02.2010 की प्रति सहित।

1. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय काराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइप अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
2. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइप अप संबंधी सूचना सभी संबंधितों की जानकारी में लाने का श्रम करें।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइप अप संबंधी सूचना सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र की जानकारी में लाने की व्यवस्था करें। साथ ही बीमितों/अन्य के लिए उक्त सूचना की एक प्रति औषधालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने बाबत सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों, राजस्थान क्षेत्र को आवश्यक निर्देश जारी करें।
4. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल चिकित्सालय—जयपुर को उक्त अस्पताल से क्रम सं. 14 पर वर्णित उपचार हेतु किये गये एग्निमेंट दिनांक 18.2.2010 की फोटो प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कोटा/भीलवाड़ा/जोधपुर/पाली को उक्त अस्पताल से क्रम सं. 14 पर वर्णित उपचार हेतु किये गये एग्निमेंट दिनांक 18.2.2010 की फोटो प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री (सदस्य, क्षेत्रीय परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राज. क्षेत्र)
7. उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
8. उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाइट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
9. सहायक निदेशक (वित्त), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।
10. सहायक निदेशक (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
11. सभी अधिकारी/शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
12. सभी शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विवरणानुसार टाइप अप किये अस्पताल के संबंध में सूचना आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी सदस्यों/नियोजकों/एम्पलायर एसोसियेशन/ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में लाने एवं बीमितों की जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
- 13- सूचना पट्ट (15) गार्ड फाईल। (16) एक प्रति वेबसाइट पत्रावली।